क्या आप बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचे (Child and Youth Safe Organisations Framework) के लिए तैयार हैं?

बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचा (ढांचा) क्या है?

- यदि आपका संगठन बच्चों और युवाओं के साथ संलग्न होता है, तो उसके लिए 2024 से बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचे का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो सकता है।

- ये नई कानूनी आवश्यकताएँ संगठनात्मक परिवेशों में बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के बारे में हैं।

- इसी तरह की कानूनी आवश्यकताओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के अन्य राज्यों में संगठनों को बच्चों और युवाओं के अधिकारों का संरक्षण बरकरार रखने के लिए उनकी कुशलताएँ सशक्त बनाते हुए देखा गया है।

ढांचा किसके लिए लागू होता है?

- जो संगठन विशेषकर बच्चों के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं, या विशेषकर अपनी देखरेख के तहत बच्चों के उपयोग के लिए सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

- जिन संगठनों को अनुपालन करना होगा, उनके कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
    - चाइल्डकेयर और बेबीसिटिंग सेवाएँ
    - बच्चों की काफी अधिक सदस्यता या भागीदारी वाले क्लब और संघ
    - आस्था-आधारित समूह या धार्मिक संगठन, जो ऐसी गतिविधियाँ या सेवाएँ प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से बच्चों के साथ वयस्कों का संपर्क होता है।

मुझे क्या करना होगा?

- ढांचे में बाल एवं युवा सुरिक्षत मानक और सूचना देने योग्य आचरण योजना (Reportable Conduct Scheme), दोनों शामिल हैं।

- बाल एवं युवा सुरिक्षत मानक ऐसे 10 सिद्धांत हैं, जिन्हें संगठनों को बच्चों और युवाओं केसाथ संलग्न होने पर व्यवहार में लाने की आनिवार्यता होगी। बाल एवं युवा सुरिक्षत मानकों को व्यवहार में लाने की परिकरया में संगठनों को एबोरिजनल सांस्कृतिक सुरक्षा केलिए सार्वभौमिक सिद्धांत (Universal Principle for Aboriginal Cultural Safety) को भी परभावी बनाने की अनिवार्यता होगी।

- सूचना देने योग्य आचरण योजना एक नई, अनिवार्य योजना है जिसकेतहत कुछविशिष्ट संगठनों के अगरिणयों को कर्मचारी से संबंधित बाल शोषण से जुड़े आचरण केबारे में चिंताओं की सूचना देने और जांच करने की आवश्यकता होती है।

- ढांचे का पालन करने की आवश्यकता वाले संगठनों को अपने नए कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थन प्राप्त होगा और हो सकता है कि वे पहले से ही ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अनुपालन कर रहे हैं।

बाल एवं युवा सुरक्षित मानक (Child and Youth Safe Standards)

बाल एवं युवा सुरक्षित मानक ऐसे 10 सिद्धांत हैं जो यह रेखांकित करते हैं कि कोई संगठन अपने केंद्र में बाल सुरक्षा और कल्याण के साथ संस्कृति कैसे विकसित कर सकता है।

बाल एवं युवा सुरक्षित मानकों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है:

- बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और सकुशलता को बढ़ावा देना
- बच्चों और युवाओं का दुर्व्यवहार व नुकसान होने की रोकथाम करना
- एक मानदंड स्थापित करना, जिसे बच्चों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले संगठनों को पूरा करने की आवश्यकता होगी
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों और युवाओं के साथ संलग्न होने वाले संगठन इन बातों को महसूस करने के लिए अपने दिन-प्रतिदिन की प्रथाओं में कार्यनीतियाँ अपनाते हैं।

सभी 10 मानकों को व्यवहार्य बनाने में संगठनों को एबोरिजनल सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत (Universal Principle for Aboriginal Cultural Safety) कहे जाने वाले सिद्धांतों को भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी।

सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार संगठनों को एक ऐसा परिवेश प्रदान करने की आवश्यकता है, जो एबोरिजनल या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी (Aboriginal or Torres Strait Islander) बच्चों के सांस्कृतिक संरक्षण (Cultural Safety) के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित करता है।

ये 10 मानक हैं:

मानक 1: बाल सुरक्षा और कल्याण संगठनात्मक नेतृत्व, प्रशासन और संस्कृति में अंतर्निहित है।

मानक 2: बच्चों और युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है, उन्हें खुद को प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल किया जाता है और उन्हें गंभीरता से लिया जाता है।

मानक 3: परिवारों और समुदायों को सूचित किया जाता है तथा उन्हें बाल सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने में शामिल किया जाता है।

मानक 4: समानता को बनाए रखा जाता है तथा नीति और व्यवहार में विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है।

मानक 5: बच्चों और युवाओं के साथ काम करने वाले लोग बाल सुरक्षा और कल्याण मूल्यों को व्यवहार में प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें समर्थन दिया जाता है।

मानक 6: शिकायतों और चिंताओं का उत्तर देने की प्रक्रियाएँ बाल-केंद्रित होती हैं।

मानक 7: कर्मचारी और स्वयंसेवक लगातार शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान, कुशलताओं और जागरुकता से लैस रहते हैं।

मानक 8: भौतिक व ऑनलाइन परिवेश बच्चों और युवाओं को नुकसान पहुंचने के अवसर को कम करते हुए सुरक्षा और सकुशलता को बढ़ावा देते हैं।

मानक 9: बाल एवं युवा सुरक्षित मानकों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इनमें सुधार किया जाता है।

मानक 10: नीतियाँ और प्रक्रियाएँ इस बात का दस्तावेजीकरण करती हैं कि संगठन बच्चों और युवाओं के लिए किस प्रकार से सुरक्षित है।

बाल एवं युवा सुरक्षित मानकों का संपूरण सूचना देने योग्य आचरण योजना (Reportable Conduct Scheme) द्वारा किया जाता है, जो बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचे का अन्य प्रमुख तत्व है।

सूचना देने योग्य आचरण योजना (Reportable Conduct Scheme)

सूचना देने योग्य आचरण योजना ऐसे संगठनों के बारे में है, जो बच्चों और युवाओं के साथ संपूर्ण, पारदर्शी, सुरक्षित और बाल-केंद्रित तरीके से उनकी सकुशलता के बारे में चिंताओं की जांच करते हैं।

इसका निरीक्षण एक स्वतंत्र नियामक द्वारा किया जाता है, जो इस बात की निगरानी करता है कि इन जांचों को कैसे संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य संगठनों को उनकी कुशलताएँ तथा आत्मविश्वास को सशक्त बनाने में सहायता देना है।

ऐसा करने के लिए विशिष्ट संगठनों के अग्रणियों के लिए यह आवश्यकता नियत की जाती है कि वे:

- अपने संगठन के किसी कर्मचारी से जुड़े बाल शोषण से संबंधित आचरण की चिंताओं के बारे में स्वतंत्र नियामक (Independent Regulator) को सूचित करें, और
- इन चिंताओं की जांच करें।

'कर्मचारी' से हमारा मतलब स्वयंसेवकों से भी है।

सूचना देने योग्य आचरण में शामिल है:

- गंभीर प्रकृति का भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान
- गंभीर प्रकृति की उपेक्षा
- शारीरिक हिंसा
- यौन अपराध
- यौन दुराचार
- यौन उद्देश्य से संवारना
- प्रासंगिक अपराध, जैसे बाल शोषण और महिला जननांग विकृति की सूचना देने में विफल रहना।

सूचना देने योग्य आचरण योजना व्यवहार में कैसे काम करती है:

- तीन कार्यदिवसों के अंदर: अग्रणियों के लिए लिखित रूप में स्वतंत्र नियामक को सूचना देने योग्य । उन्हें आधारिक विवरण प्रदान करना होगा, जैसे:
    - कर्मचारी का नाम और, यदि ज्ञात हो, तो जन्म तिथि

- यह कि सूचना देने योग्य आचरण का आरोप लगाया गया है, या किसी कर्मचारी के विरुद्ध सूचना देने योग्य दोषसिद्धि दर्ज की गई है
    - क्या सूचना देने योग्य आरोप संदिग्ध आपराधिक व्यवहार है, क्या तस्मानिया पुलिस को सूचित किया गया है
    - संगठन का नाम, पता और टेलीफोन नंबर
    - संगठन के अग्रणी का नाम।
- **जितनी जल्दी संभव हो:** अग्रणियों के लिए जांच शुरू करना (या ऐसा करने के लिए एक स्वतंत्र जांचकर्ता प्राप्त करना) अनिवार्य है।
- **30 दिनों के अंदर**: अग्रणियों के लिए स्वतंत्र नियामक को विस्तृत जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है, जिसमें शामिल है:
    - आरोप या दोषसिद्धि के बारे में जानकारी
    - क्या कोई कार्रवाई की गई है (उदाहरण के लिए, बच्चों के साथ कर्मचारी के संपर्क को सीमित करना)
    - कोई भी लिखित प्रस्तुतियाँ।
- **जांच के अंत में:** अग्रणियों के लिए स्वतंत्र नियामक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है:
    - जांच के निष्कर्ष
    - निष्कर्षों के कारण
    - इसके परिणामस्वरूप की गई किसी भी कार्रवाई का विवरण।

इन जांचों को संभावित कार्य दुराचार के बारे में किसी भी सामान्य कार्यस्थल जांच के समान माना जा सकता है।

यदि आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो वेबसाइट: https://www.justice.tas.gov.au/carcru/framework

मुख्य शब्दावली:

संगठन का अग्रणी - संगठन का अग्रणी वह व्यक्ति होता है, जो संगठन के निर्णय लेने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। वह व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रधान अधिकारी (इसमें व्यवसाय का मालिक या फ्रेंचाइज़ी शामिल हो सकता है) या निकाय का अनुमोदित प्रमुख हो सकता है।
संगठन - एक निकाय, जैसे संस्था या संघ, जैसाकि बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचा वेबसाइट पर सूचीबद्ध है।
कानूनी आवश्यकताएँ - अनिवार्य नियम, जिनका संगठनों को पालन करना चाहिए।
बच्चे - 18 वर्ष से कम आयु के लोग।
युवा लोग - 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के लोग।
सूचना देने योग्य आचरण - बाल एवं युवा सुरक्षित संगठन ढांचा वेबसाइट पर सूचीबद्ध किसी संगठन के कर्मचारी से संबंधित बाल शोषण से जुड़ा आचरण।